संचालनालय कोष एवं लेखा
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्था./वि.क/2017/88 भोपाल, दिनांक 28 /01/2017

प्रति,

01 समस्त म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय म.प्र.।
02 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा म.प्र.।
03 समस्त कोषालय अधिकारी म.प्र.।

विषयः- अचल संपत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2016 प्रस्तुत करने विषयक।

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा तथा जिला कोषालय अधिकारी कार्यालयों में इ.एस.एस. मॉडयूल में कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। अतः दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में वार्षिक विवरण ई.एस.एस. मॉड्यूल के माध्यम से ऑन लाईन प्रस्तुत करें। शेष समस्त कार्यालयों में पदस्थ म.प्र. वित्त सेवा अधिकारी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2016 की स्थिति में निर्धारित प्रारूप पर इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

उल्लेखनीय है कि शेष कार्यालयों में भी शीघ्र ई.एस.एस. मॉडयूल का कार्य आरंभ किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है। आरंभ होने पर मॉडयूल अनुसार आगामी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नः- प्रपत्र।

संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा

पृ.क्रमांक/स्था./वि.क/2017/ भोपाल, दिनांक /01/2017

प्रतिलिपिः-

01 श्री लोकेश तिवारी, सहायक प्रोग्रामर, संचालनालय, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर प्रेषित कर बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त संचालक
कोष एवं लेखा

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो .... 2. वर्तमान धारित पद ....

3. वर्तमान वेतन .... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ....

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पति का नाम तथा ब्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और इसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ....

नाम ....

पद ....

विभाग ....

शाकेमुभो—767—असस्राप्रवि—18-1-13—20,000.